

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी)

प्रलिस के लयल:

चुनाव आयोग, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जनप्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951 ।

मेन्स के लयल:

जनप्रतनिधित्त्व अधनियम का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया, जो "अस्त्विवहीन" पाए गए और तीन दलों को "गंभीर वत्तीय अनयमत्तता" के लयल कानूनी कार्रवाई हेतु राजस्व वभाग को संदर्भत कया । हाल के दनों में यह पंजीकृत पार्टयों के खललाफ इस तरह की दूसरी कार्रवाई थी जो **जन प्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951** का उल्लंघन करते पाए गए हैं ।

- इससे पहले चुनाव आयोग ने 87 गैर-मौजूद पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया था ।
- चुनाव आयोग ने कहा कवचाराधीन 111 दलों ने अधनियम की उन धाराओं का उल्लंघन कया है जनिके लयल उन्हें अपने संचार का पता और चुनाव आयोग को पते में कसी भी बदलाव को प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

राजनीतिक दलों से संबंधत प्रमुख बढु:

- **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP):**
 - या तो नए पंजीकृत दल या वे जो राज्यस्तरिय दल बनने के लयलवधनसभा या आम चुनावों में पर्याप्त प्रतशत वोट हासल नही कर पाए हैं, या जनिहोंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नही लडा है, उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दल माना जाता है ।
 - ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को दी गई सभी सुवधियों का लाभो नही मलता है ।
- **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल:**
 - एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या तो राष्ट्रीयदल या राज्यस्तरिय दल होगा यदवह कुछ नरिधारत शर्तों को पूरा करता है ।
 - राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लयल एक दल को पछले चुनाव के दौरान राज्य वधन सभा या लोकसभा में मतदान के वैध वोटों का एक नश्चित न्यूनतम प्रतशत या नश्चित संख्या में सीटें हासल करना होता है ।
 - राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा दी गई मान्यता उन्हें प्रतीकों के आवंटन, राज्य के स्वामत्त्व वाले टेलीवज़िन और रेडयो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लयल समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच जैसे कुछ वशिषाधिकारों को नरिधारत करती है ।

राजनीतिक दलों की मान्यता के लयल शर्तें:

- **राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लयल शर्तें:**
 - कसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह नमिनलखित अहर्ताओं में से कसी एक को पूरा करता हो-
 - लोकसभा या राज्यों के वधनसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6 प्रतशत मत प्राप्त करे तथा इसके अतरिकित 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे । या
 - लोकसभा चुनावों में कुल लोकसभा सीटों की 2 प्रतशत (11 सीट) सीटों पर जीत हासल करता हो तथा ये सीटें कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से हों । या
 - यदकोई दल चार या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरिय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे ।
- **राज्य स्तरिय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लयल शर्तें:**
 - कसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरिय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह नमिनलखित अहर्ताओं में से कसी एक को पूरा करता हो-

- यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा, यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें जीतता है या
- यदि यह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का 6% हासिल करता है और इसके अलावा, यह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है या
- दल ने राज्य की विधानसभा के लिये हुए चुनावों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, प्राप्त किया हो।
- यदि वह प्रत्येक 25 सीटों के लिये लोकसभा में 1 सीट या संबंधित राज्य से लोकसभा के लिये आम चुनाव में राज्य को आवंटित उसके किसी भी अंश के लिये जीतता है।
- यदि यह राज्य या राज्य की विधानसभा से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त करता है। यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)

परिचय:

- स्वतंत्र और नष्पक्ष चुनाव का आयोजन लोकतंत्र का अनिच्छित-शून्य है। स्वतंत्र, नष्पक्ष और नष्पक्ष तरीके से चुनाव के संचालन को सुनिश्चित करने के लिये संविधान निर्माताओं ने संविधान में भाग XV (अनुच्छेद 324-329) को शामिल किया और संसद को चुनावी प्रक्रिया को वनियमिति करने के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया।
- इस संदर्भ में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियमिति किया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950

मुख्य प्रावधान:

- निर्वाचन क्षेत्रों के परसिमन के लिये प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।
- लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आबंटन का प्रावधान करता है।
- मतदाता सूचियों को तैयार करने और सीटों को भरने के तरीके के लिये प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951

मुख्य प्रावधान:

- यह चुनाव और उप-चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है।
- यह चुनाव कराने के लिये प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है।
- यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।
- यह सदनों की सदस्यता के लिये अर्हताओं और अयोग्यताओं को निर्दिष्ट करता है।
- इसमें भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान किये गए हैं।
- इसमें चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों को नपिटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

यूपीएससी सविलि सेवा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर वचिर कीजिये:

1. भारत में, उम्मीदवारों को तीन निर्वाचन क्षेत्रों से एक लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है।
2. वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में, श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा।
3. मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकीदल सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीतने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च वहन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (c) 1 और 3
- (b) केवल 2
- (d) 2 और 3

उत्तर:(b)

व्याख्या:

- वर्ष 1996 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक उम्मीदवार के लिये सीटों की संख्या को 'तीन' से 'दो' तक सीमित कर दिया जा सके। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- वर्ष 1991 में, श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा सीटों, सीकर, रोहतक और फरीजपुर से चुनाव लड़ा। **अतः कथन 2 सही है।**
- जब भी कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ता है और एक से अधिक जीतता है, तो उम्मीदवार को केवल एक सीट बरकरार रखनी होती है, जिससे बाकी सीटों पर उपचुनाव हो जाता है। यह परिणामी रक्ति के वरिद्ध उपचुनाव कराने के लिये सरकारी खजाने, सरकारी जनशक्ति और अन्य संसाधनों पर एक अपरहार्य वित्तीय बोझ का परिणाम है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/registered-unrecognised-political-parties-1>

